ग्राम पंचायत मटौर, विकास खण्ड काँगड़ा, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 176001 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मटौर , विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री निर्मल सिंह	01/04/2022 से 31/03/2024

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति अनुराधा चौधरी	01/04/2022 से 31/03/2024

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री संजीव कुमार	01/04/2022 से 31/03/2024

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री मुलख राज	01/04/2022 से 31/03/2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत मटौर के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना	**1.49**
2.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**20.41**
3.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.60**
4.	8.1	आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप राजस्व की संभावित वित्तीय हानि पाई जाना एवं लाखों रूपये के अनियमित भुगतान करना	**3.24**
5.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**0.28**
6.	8.3	स्थायी व अस्थायी भण्डार का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न पाया जाना	**0.10**
7.	8.4	आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान करना	**1.40**
8.	8.5	आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण अधिक/अनियमित भुगतान करना	**1.12**
9.	9	मनरेगा के अंतर्गत व्यय की गई राशि से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति,	**30.72**

		प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	
10.	10.3	विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा न करवाना	**0.07**

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत मटौर का अंकेक्षण अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 के लिये किया गया था जिसके अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:-

1 अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2019 से 31/03/2021 तक

क्र० सं०	पैरा सं०	नवीनतम स्थिति
1	3	निर्णीत
2	4	अनिर्णीत
3	5	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
4	6	अनिर्णीत
5	7	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
6	8	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
7	9	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
8	10	अनिर्णीत
9	11	अनिर्णीत
10	12	निर्णीत (वर्तमान अंकेक्षण के दौरान पैरे में शामिल राशि की वसूली एवं पुष्टि उपरांत)
11	13	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
12	14	निर्णीत (नवीनतम स्थिति वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
13	15	अनिर्णीत
14	16	अनिर्णीत

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मटौर, विकास खण्ड काँगड़ा, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 17.08.2024 से 28.08.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2022-23	07/2022	05/2022
2023-24	07/2023	06/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹6400/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 08/2024/मटौर दिनांक 28.08.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 17 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. वित्तीय स्थिति:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 22/2024 दिनांक 17.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/22 से 31/03/24 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	137246.28	501862.00	639108.28	179961.36	459146.92
2023-24	459146.92	236632.30	695779.22	613372.92	82406.30

2. अनुदान:-

अवधि	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग (कालम 2+3)**	**व्यय**	**अन्तशेष (कालम 4-5)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
2022-23	2543005.38	8994125.00	11537130.38	8947553.00	2589577.38
2023-24	2589577.38	6546656.00	9136233.38	7095703.77	2040529.61

कुल योग (1+2) = 82406.30 + 2040529.61 = **2122935.91**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति के अन्तशेष **₹21,22,935.91** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹22,71,792.30** **(परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित विवरणी निम्नानुसार है:-

क्र०	**अनुदान**	**बैंक**	**खाता संख्या**	**बैंक अंत शेष 31.03.24 को**
1	सभा निधि (Own Source)	हि.ग्रा.बैंक मटौर	87890100023927	81696.30
2	5वां राज्य वित्त (5th SFC),	KCCB मटौर	20033022755	736784.77

	विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY)			
3	पशु धन योजना (PDY)	IDBI मटौर	1159104000041423	44512.00
4	14 वां वित्त आयोग (14th FC)	KCCB कांगड़ा	50055704228	0.00
5	14 वां वित्त आयोग (14th FC)	HDFC कांगड़ा	50100242666787	0.00
6	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	IDBI मटौर	1159104000055860	1408089.23
7	हस्तगत शेष (स्वः स्त्रोत)			710.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का कुल योग :			2271792.30
	दिनांक 31.03.2024 को बैंक एवं रोकड़ बही के अन्तशेष में परस्पर अन्तर पाया जाना :			
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेषः-			**₹22,71,792.30**
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति पैरा4(क) के अनुसार अन्तशेष :-			**₹21,22,935.91**
	अंतर :-			**₹1,48,856.39**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹1.49 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2024 को उपरोक्त पैरा 4 के अनुसार **₹1,48,856.39** की राशि का बहुत ज्यादा अन्तर पाया गया, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/मटौर दिनांक 27.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

4.2 स्कीमवार पृथक बैंक खाते न खोलने बारे: -

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच.-एच.ए. (5)सी (15)-(13) (एल) 5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार बैंक खातों का संचालन नहीं किया जा रहा व अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार निम्नलिखित अनुदानों के लिए संयुक्त बैंक खाता खोलने संबंधी आपत्ति पाई गई:-

क्र०सं०	अनुदान शीर्ष	बैंक	खाता सं०
1.	5वां राज्य वित्त (5th SFC) व विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY)	KCCB मटौर	20033022755

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा बैंक खातों का संचालन वर्णित नियमों एवं निर्देशों के विरुद्ध है जिस कारण 5वां राज्य वित्त (5th SFC) और विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY) अनुदानों के आरंभिक शेष व अंत शेष की पुष्टि नहीं की जा सकी। यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/मटौर दिनांक 27.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 28.08.2024 द्वारा उत्तर दिया गया कि भविष्य में नियमानुसार स्कीमवार अनुदानों के पृथक बैंक खाते खोल लिए जाएंगे व कृत अनुपालन से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये व 5वां राज्य वित्त (5th SFC) और विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY) अनुदानों का पृथक बैंक खाता खुलवा कर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के वित्तीय वर्ष 2023-24 की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/मटौर दिनांक 27.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता बारे पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व-स्त्रोत में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/मटौर दिनांक 27.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में निवेश नहीं किया गया था। भविष्य में नियमानुसार सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन की दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

6. अनुदान राशि ₹20.41 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 22/2024 दिनांक 17.08.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से

₹20,40,529.61 की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/मटौर दिनांक 27.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से आवश्यक स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.60 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/मटौर दिनांक 20.08.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 10 दिनांक 21.08.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण थी व इसका अद्यतन केवल वित्तीय वर्ष 2022-23 तक किया गया था। पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹50/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि **₹60,000.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.24 को शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न है। संपत्ति कर/गृहकर से संबंधित मांग व संग्रहण पंजिका अपूर्ण होने के कारण लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता नहीं

लगाया जा सका। संपत्ति कर/गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/मटौर दिनांक 27.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 14 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की मांग व संग्रहण पंजिका को पूर्ण कर लिया जाएगा व गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका को पूर्ण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशि ₹ 3.24 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि एवं लाखों के अनियमित भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा, परन्तु निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या XEN-(RD &PR)-DB -General/ 2023-1/ 2024192 /2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 अनुसार खनन सामग्री के क्रय हेतु भुगतान केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा

वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाने उपरांत ही किया जाना अपेक्षित है।

चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल एवं वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए व आपूर्तिकर्ता द्वारा वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध न करवाने के बावजूद संबंधित बिल/वाउचरों का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया गया जो कि अनियमित एवं आपत्तिजनक है। परिणामस्वरूप राज्य सरकार को **परिशिष्ट - " ङ "** पर संलग्न विवरणानुसार रॉयल्टी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व राशि **₹ 3,23,358.00** की संभावित वित्तीय हानि एवं नियमों व निर्देशों के प्रतिकूल अंकेक्षणावधि में किये गये समस्त भुगतान अनियमित प्रतीत होते हैं।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/मटौर दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) सुनिश्चित नहीं किया गया व आपूर्तिकर्ता से ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) प्राप्त कर अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिये जाएंगे अथवा राशि **₹ 3,23,358.00** की वसूली आपूर्तिकर्ता से करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत प्रत्युत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः अंकेक्षणावधि के दौरान आपूर्तिकर्ता से वैध ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना खनन सामग्री के बिल/वाउचरों के भुगतानों को नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा अंकेक्षणावधि में किये गये समस्त अनियमित भुगतानों के संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में खनन सामग्री के क्रय हेतु नियमानुसार भुगतान से पूर्व वैध ट्रांजिट पास (फॉर्म डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फॉर्म एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.28 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना: -

ANNUAL REPORT

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि औपचारिकतायें प्रावधित हैं।

चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹ 27,614.17** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " च "** में दिया गया है, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/मटौर दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 28.08.2024 द्वारा बताया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार इसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

ANNUAL REPORT

8.3 स्थायी व अस्थायी भण्डार ₹0.10 लाख का भंडारण पुस्तिकाओं में इन्द्राज न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए, बी, सी व डी) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय की गए भंडार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25 से 28 में लेखांकन किया जाना है।

चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **₹10,000.00** के भण्डार को भंडार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था,

जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " छ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/मटौर दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि आकस्मिकता एवं समय के अभाव के कारण स्टॉक/स्टोर का स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है व इसे लेखांकित कर आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। प्रस्तुत प्रतिउत्तर नियम प्रावधानों के विपरीत तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का समुचित इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

ANNUAL REPORT

8.4 आपूर्तिकर्ताओं से पत्थर के क्रय हेतु भुगतान से पूर्व रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशि ₹1.40 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे: -

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (HPPWD) के नियम, सामग्री का परिवहन के अंतर्गत क्रम (2.1.2.13) में पत्थरों (Stone/Boulders) की आपूर्ति में रिक्तियों (Voids) की 12.5% दर से कटौती करना निर्धारित है।

चयनित माह 05/2022 व 06/2023 के बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से पत्थरों की खरीद करने हेतु कुल राशि **₹11,17,916.00** का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करने से पूर्व 12.5% की दर से रिक्तियों की कटौती नहीं की गई थी जिस कारण राशि **₹1,39,740.00** का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " ज "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/मटौर दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रिक्तियों की कटौती नहीं

की गई थी व आपूर्तिकर्ता से वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार रिक्तियों की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार उच्च तकनीकी अधिकारियों की जांच व सत्यापन एवं समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से की जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रिक्तियों की कटौती के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार कटौती योग्य रिक्तियों की अपेक्षित राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.5 आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशि ₹1.12 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे:-

ANNUAL REPORT

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि०प्र० आबकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part (278/25)-29056 दिनांक 29.09.20218 के अनुसार किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्था/स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local Authority/Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अन्तर्गत में ₹ 2,50,000.00 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1%CGST + 1%SGST – अंतर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% IGST – अंतरराज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती संबंधित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले संबंधित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

बिल/वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु अंकेक्षण अवधि के व्यय चयनित माह 05/2022 व 06/2023 में कुल राशि ₹55,95,201.00 का भुगतान किया गया था, जिस पर

नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं से जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में 2% की दर से राशि **₹1,11,904.00** की कटौती नहीं की गई थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट " झ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/मटौर दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 28.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में आपूर्तिकर्ता से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती नहीं की गई थी जिस पर नियमपूर्वक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा। प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं है और यह एक अनुचित प्रक्रिया है।

अतः ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती किए बिना आपूर्तिकर्ताओं को बिल/वाउचरों के प्रति किए गये भुगतान को नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा अंकेक्षण के दिए आश्वासनानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली आपूर्तिकर्ताओं से करने उपरांत सम्पूर्ण राशि संबंधित विभाग में जमा करवाई जाए तथा किसी संशय की स्थिति में सम्बन्धित जिला आबकारी एवं कराधान अधिकारी से सम्पर्क कर तदानुसार अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये। इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके आपूर्तिकर्ताओं से नियमानुसार कटौती योग्य जी.एस.टी. टी.डी.एस. की अपेक्षित राशि की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

ANNUAL REPORT

9. मनरेगा के अंतर्गत व्यय की गई राशि ₹30.72 लाख से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, माप पुस्तिका व

प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है और नियम **79** (2) के अनुसार पंचायत सचिव को अंकेक्षण के दौरान पंचायत के समस्त अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 की अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा कुल व्यय राशि **₹30,72,233.00** के विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ञ "** में दिया गया है। जिसके अभाव में किये गए कार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/मजदूरी के व्यय, खपत, सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/मटौर दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 28.08.2024 में पंचायत सचिव द्वारा बताया गया कि उक्त कार्यों से संबंधित माप पुस्तिकाएं विकास खंड कार्यालय में निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत जमा है व जिन्हें अन्य उक्त अभिलेखों सहित आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 101 (2) (III) की अनुपालना सहित उक्त मामले में आवश्यक कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच, माप पुस्तिका में स सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गयी थी परन्तु माप

पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अनुसार प्रत्येक निर्माण कार्य के लिए एक अनुभागी / संकर्म समिति बनाए जाने का प्रावधान है जो कि नियमानुसार निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत के साथ उपरोक्त नियमों के "परिशिष्ट -ई" में दिए गये अनुबंध हस्ताक्षरित करेगी तथा उस कार्य विशेष के निष्पादन की देखरेख के लिए हर तरह से उत्तरदायी होगी।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त नियम की अनुपालना नहीं की जा रही है तथा निर्माण कार्यों का निष्पादन पंचायत द्वारा अपने ही स्तर पर करवाया जा रहा है जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

ANNUAL REPORT

10.3 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि ₹0.07 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारे : -

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता संख्या "0070-60-108-01" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त कुल राशि **₹ 6,600.00** को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/मटौर दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता

बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 23.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया व जल्द ही नियमानुसार प्राप्त विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षणावधि के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अथवा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत विवाह पंजीकरण शुल्क को सरकारी कोष में जमा करवा कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

10.4 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.004 लाख की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली बारे :

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹400.00** की वसूली नहीं की गई थी, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 02/2024/मटौर दिनांक 21.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 11 दिनांक 23.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण के दौरान वसूली कर ली गई है व प्राप्त राशि को सभा निधि खाता बैंक संख्या 87890100023927 में जमा करवा दिया गया है जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:-

क्र०सं०	**आवेदनकर्ता**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण तिथि**	**रसीद संख्या**	**दिनांक**	**वसूली गई राशि**
1	श्री सुनील कुमार	11.06.2022	14.07.2022	0277218	23.08.2024	₹ 200.00
2	श्री शुभम	27.09.2022	10.10.2022	0277219	23.08.2024	₹ 200.00

अंकेक्षण द्वारा उक्त वसूली से संबंधित रसीदों एवं बैंक पास बुक के अवलोकन उपरांत पुष्टि कर ली गई है व परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि न दोहराई जाये और विवाह पंजीकरण के समय ही शुल्क प्राप्ति सुनिश्चित की जाये।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अद्यतन नियमित रूप से नहीं किया गया था, लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता एवं पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन व सामग्री के रिसन (leakage) व दुर्विनियोजन की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	प्रारूप
1.	निवेश रजिस्टर	12(1) व 27(1)	01
2.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15(1)	----
3.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
4.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	30	09
5.	बजट प्राक्कलन	37	11
6.	अनुदान रजिस्टर	61(1)	21
7.	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	95(1)	31
8.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	--------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 03/2024/मटौर दिनांक 22.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 12 दिनांक 23.08.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में पूर्ण कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार नियमित अद्यतन करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 06/2024/मटौर दिनांक 28.08.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 15 दिनांक 28.08.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

अत: अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

25 OCT 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का0/50
4824–4828

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)313/2021–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मटौर, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

25 OCT 2024

का0/50

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

(परिशिष्ट " क " पैरा संख्या " 5 (क) " के संदर्भ में)

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP MATAUR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1. OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	137246.28	501862.00	639108.28	179961.36	459146.92
2023-24	459146.92	236632.30	695779.22	613372.92	82406.30

2. GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	2543005.38	8994125.00	11537130.38	8947553.00	2589577.38
2023-24	2589577.38	6546656.00	9136233.38	7095703.77	2040529.61

Total checked
JSA

सचिव (अनुराधा चौधरी)
ग्राम पंचायत मटौर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि. प्र.)

(परिशिष्ट " ख " पैरा संख्या " 5(क)" के संदर्भ में)

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP MATAUR FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	5thSFC / PDY	2022-23	560051.77	548901.00	1108952.77	680500.00	428452.77
		2023-24	428452.77	1376919.00	1805371.77	1024075.00	781296.77
2	VKVNY	2022-23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2023-24	0.00	180000.00	180000.00	180000.00	0.00
3	14th FC	2022-23	373932.61	9251.00	383183.61	367873.00	15310.61
		2023-24	15310.61	228.00	15538.61	0.00	15538.61
4	15th FC	2022-23	1609021.00	1294369.00	2903390.00	757576.00	2145814.00
		2023-24	2145814.00	431578.00	2577392.00	1333697.77	1243694.23
5	SBM (PFMS)	2022-23	0.00	11368.00	11368.00	11368.00	0.00
		2023-24	0.00	65816.00	65816.00	65816.00	0.00
6	MGNREGA	2022-23	0.00	7130236.00	7130236.00	7130236.00	0.00
		2023-24	0.00	4492115.00	4492115.00	4492115.00	0.00

Total Checked
S.A.

सचिव (अनुराधा चौधरी)
ग्राम पंचायत मटौर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट " ग " पैरा संख्या "5(ख)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत मटौर, वि०ख० कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176001

ग्राम पंचायत मटौर के दिनांक 31.03.2024 को बैंक शेष व रोकड़ बही में अंतर :-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक अंत शेष 31.03.2024	कुल बैंक अंत शेष 31.03.2024	रोकड़ बही अंत शेष 31.03.2024
1	सभा निधि (Own Source)	हि.ग्रा.बैंक मटौर	87890100023927	81696.30	81696.30	82406.30
2	5वां राज्य वित्त (5th SFC), विधायक क्षेत्र विकास निधि (VKVNY) व पशु धन योजना (PDY)	KCCB मटौर	20033022755	736784.77	781296.77	781296.77
3		IDBI मटौर	1159104000041423	44512.00		
4	14 वां वित्त आयोग (14th FC)	KCCB कांगड़ा	50055704228	0.00	0.00	15538.61
5		HDFC कांगड़ा	50100242666787	0.00		
6	15 वां वित्त आयोग (15th FC)	IDBI मटौर	1159104000055860	1408089.23	1408089.23	1243694.23
		हस्तगत नकद शेष (Own Source)		710.00	710.00	0.00
		कुल योग		2271792.30	2271792.30	2122935.91

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी :-	
पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2024 का अन्तशेष:-	2271792.30
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा- 4(क) अन्तशेष :-	2122935.91
अंतर :-	148856.39

Total checked
J.A.

सचिव (अनुराधा चौधरी)
ग्राम पंचायत मटौर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

(परिशिष्ट " ए " पैरा संख्या " 7 " के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत मटौर, वि०ख० कांगड़ा, ज़िला कांगड़ा, हि०प्र० 176001

दिनांक 31-03-2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पत्ति कर/ गृहकर:-

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्या 2022-23 में 834 तथा 2023-24 में 836 परिवारों का ₹50/- प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से:-

वित्तीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	₹ 1,14,250.00	834	₹ 50.00	₹ 41,700.00	₹ 1,55,950.00	₹ 1,37,750.00	₹ 18,200.00
2023-24	₹ 18,200.00	836	₹ 50.00	₹ 41,800.00	₹ 60,000.00	₹ 0.00	₹ 60,000.00
	नोट:- दिनांक 31.03.2024 को बकाया गृहकर की राशि **₹60,000/-** है।						

J.A.

अनुराधा चौधरी

सचिव
ग्राम पंचायत मटौर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि. प्र.)

26

परिशिष्ट "ड." ", पैरा संख्या "४.१ " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत मटौर द्वारा आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को राशी ₹3.23 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं० / दिनांक	बिल सं०/ दिनांक	मद का नाम	Qty (Cft)	Qty (Cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
	मनरेगा									
1	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	851/01.04.2022	sand		24.84	1.62	40.241	80.00	₹ 3,219.26
2				Aggregate		47.04	1.52	71.501	80.00	₹ 5,720.06
3	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	841/06.03.2022	sand		9.44	1.62	15.293	80.00	₹ 1,223.42
4				Aggregate		17.89	1.52	27.193	80.00	₹ 2,175.42
5				Boulder		8.55	2.24	19.152	80.00	₹ 1,532.16
6	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	853/01.04.20222	sand		16.39	1.62	26.552	80.00	₹ 2,124.14
7				Aggregate		31.04	1.52	47.181	80.00	₹ 3,774.46
8	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	849/01.04.2022	sand		16.27	1.62	26.357	80.00	₹ 2,108.59
9				Aggregate		30.80	1.52	46.816	80.00	₹ 3,745.28
10	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	709/27.12.2021	Aggregate	1900.00	53.81	1.52	81.790	80.00	₹ 6,543.19
11				sand	1000.00	28.32	1.62	45.879	80.00	₹ 3,670.35
12	Ajay kumar	Nil/21.05.2022	791/30.12.2021	sand		18.50	1.62	29.970	80.00	₹ 2,397.60
13				Aggregate		35.04	1.52	53.261	80.00	₹ 4,260.86
14	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	831/01.02.2021	sand		18.50	1.62	29.970	80.00	₹ 2,397.60
15				Aggregate		35.04	1.52	53.261	80.00	₹ 4,260.86
16	Ajay kumar	Nil/21.05.2022	792/30.12.2021	sand		18.50	1.62	29.970	80.00	₹ 2,397.60
17				Aggregate		35.04	1.52	53.261	80.00	₹ 4,260.86
18	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	793/30/12/2021	sand		19.93	1.62	32.287	80.00	₹ 2,582.93
19				Aggregate		37.74	1.52	57.365	80.00	₹ 4,589.18
20	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	794/30.12.2021	sand		19.93	1.62	32.287	80.00	₹ 2,582.93
21				Aggregate		37.74	1.52	57.365	80.00	₹ 4,589.18
22	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	729/20.12.2021	sand		16.54	1.62	26.795	80.00	₹ 2,143.58
23				Aggregate		31.32	1.52	47.606	80.00	₹ 3,808.51
24	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	826/01.02.2022	sand		16.75	1.62	27.135	80.00	₹ 2,170.80
25				Aggregate		31.71	1.52	48.199	80.00	₹ 3,855.94
26	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	795/30/12/2021	sand		20.72	1.62	33.566	80.00	₹ 2,685.31
27				Aggregate		39.25	1.52	59.660	80.00	₹ 4,772.80
28	Ajay kumar	Nil/21.05.2022	809/01.02.2022	sand		10.86	1.62	17.593	80.00	₹ 1,407.46
29				Aggregate		20.55	1.52	31.236	80.00	₹ 2,498.88
30	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	796/30.12.2021	sand		5.48	1.62	8.878	80.00	₹ 710.21
31				Aggregate		9.81	1.52	14.911	80.00	₹ 1,192.90
32	Ajay kumar	Nil/21.05.2022	827/01.02.2022	sand		8.88	1.62	14.386	80.00	₹ 1,150.85
33				Aggregate		16.82	1.52	25.566	80.00	₹ 2,045.31
34	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	797/30.12.2021	sand		16.92	1.62	27.410	80.00	₹ 2,192.83
35				Aggregate		32.04	1.52	48.701	80.00	₹ 3,896.06
36	Ajay kumar	Nil/21.05.2022	828/01.02.2022	sand		8.74	1.62	14.159	80.00	₹ 1,132.70
37				Aggregate		16.55	1.52	25.156	80.00	₹ 2,012.48
38	Ajay kumar	Nil/21.05.2022	703/27.12.2021	sand		7.10	1.62	11.502	80.00	₹ 920.16
39				Aggregate		13.45	1.52	20.444	80.00	₹ 1,635.52
40	Ajay kumar	Nil/21.05.2022	714/27.12.2021	sand	52.00	1.47	1.62	2.386	80.00	₹ 190.86
41				Agg	49.00	1.39	1.52	2.109	80.00	₹ 168.75
42	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	712/27.01.2023	Sand		23.54	1.62	38.135	80.00	₹ 3,050.78
43				Aggregate20mm		12.00	1.52	18.240	80.00	₹ 1,459.20
44				Aggregate40mm		32.59	1.52	49.537	80.00	₹ 3,962.94
45	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	722/04.02.2023	Boulder		156.00	2.24	349.440	80.00	₹ 27,955.20
46	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	721/04.02.2023	Boulder		156.00	2.24	349.440	80.00	₹ 27,955.20
47	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	732/02.03.2023	Boulder		61.52	2.24	137.805	80.00	₹ 11,024.38
48	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	723/02.03.2023	Boulder		156.00	2.24	349.440	80.00	₹ 27,955.20
49	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	727/06.03.2023	Boulder		156.00	2.24	349.440	80.00	₹ 27,955.20
50	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	725/15.02.2023	Sand		13.00	1.62	21.060	80.00	₹ 1,684.80
51				Aggregate20mm		7.00	1.52	10.640	80.00	₹ 851.20
52				Aggregate40mm		17.64	1.52	26.813	80.00	₹ 2,145.02
53	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	734/02.03.2023	Sand		13.40	1.62	21.708	80.00	₹ 1,736.64
54				Aggregate20mm		7.00	1.52	10.640	80.00	₹ 851.20
55				Aggregate40mm		18.38	1.52	27.938	80.00	₹ 2,235.01
56	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	710/23.02.2023	Sand		14.30	1.62	23.166	80.00	₹ 1,853.28
57				Aggregate10mm		5.10	1.52	7.752	80.00	₹ 620.16
58				Aggregate20mm		16.97	1.52	25.794	80.00	₹ 2,063.55
59				Aggregate40mm		5.00	1.52	7.600	80.00	₹ 608.00
60				Boulder		11.00	2.24	24.640	80.00	₹ 1,971.20
									Total	₹ 2,58,686.05
								Panelity @ 25 %		₹ 64,671.51
								कुल राशी (R/off)		₹ 3,23,358.00

Technical Assistant
Gram Panchayat Matour
Dev. Block Kangra

अनुराधा चौधरी
सचिव
ग्राम पंचायत मटौर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

GRS matour

J.A.

परिशिष्ट " च ", पैरा संख्या " 8.2 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत मटौर द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना राशी ₹ 0.28 लाख की सामग्री/स्टॉक के क्रय का विवरण

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा० सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	राशी (Gstसहित)	टिप्पणी
	शीर्ष : सभा निधि								
1	Vikrant Aluminium Work	Own/2022-23/P/7 dt 25.05.2022	25/11.05.2022	Electricity House Door	1	Nos.	4200	₹ 4,200.00	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
2				Panchayt Ghar Door	1	Nos.	4500	₹ 4,500.00	
3				Ventilator Jaali Fix	2	Nos.	250	₹ 500.00	
4				Door Closer	1	Nos.	800	₹ 800.00	
	शीर्ष : मनरेगा								
5	Choudhary Steel & hardware	Nil/20.06.2023	4694/06.03.2023	Steel 16mm	101.43	kg	58.72	₹ 7,028.04	निविदायें प्रस्तुत नहीं की गई
6				Steel 12mm	85.70	kg	57.62	₹ 5,826.88	
7				Steel 10mm	56.91	kg	59.66	₹ 4,006.40	
8				Steel 8mm	10.53	kg	60.59	₹ 752.85	
							कुल जोड़	₹ 27,614.17	

Mukesh Raj
GRS
Gram Panchayat Matour
Dev. Block Kangra

Technical Assistant
Gram Panchayat Matour
Dev. Block Kangra

सचिव
ग्राम पंचायत मटौर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि. प्र.)

28

परिशिष्ट " द ", पैरा संख्या " 8.3 " के सन्दर्भ में

ग्राम पंचायत मटौर द्वारा क्रय किये गये राशी ₹0.10 लाख की सामग्री का विवरण जिसका स्टॉक रजिस्टर में लेखांकन नहीं किया गया है

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा	Deno	दर	राशी GST सहित
			शीर्ष : सभा निधि					
1	Vikrant Aluminium Work	Own/2022-23/P/7	25/11.05.2022	Electricity House Door	1	Nos.	4200	₹ 4,200.00
2				Panchayt Ghar Door	1	Nos.	4500	₹ 4,500.00
3				Ventilator Jaali Fix	2	Nos.	250	₹ 500.00
4				Door Closer	1	Nos.	800	₹ 800.00
							कुल जोड़	₹ 10,000.00

S.A.

अनुराधा चौधरी
सचिव
ग्राम पंचायत मटौर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि. प्र.)

परिशिष्ट " ज ", पैरा संख्या " ४.५ " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत मटौर द्वारा चयनित माह में पत्थर की खरीद में रिक्तियों (Voids) की कटौती न करने के कारण राशी ₹1.40 लाख का अधिक/ अनियमित भुगतान करने बारे

क्र०सं०	आपूर्तिकर्ता	वा०सं०/दिनांक	बिल सं०/दिनांक	मद का नाम	मात्रा (cum)	मूल्य दर (cum)	मूल्य	कटौती दर	रिक्तियां (Voids)
1	Ajay kumar	Nil/17.05.2022	841/06.03.2022	Boulder	8.55	1340	₹ 11,457.00	12.5 %	₹ 1,432.13
2	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	722/04.02.2023	Boulder	156.00	1588	₹ 2,47,728.00	12.5 %	₹ 30,966.00
3	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	721/04.02.2023	Boulder	156.00	1588	₹ 2,47,728.00	12.5 %	₹ 30,966.00
4	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	732/02.03.2023	Boulder	61.52	1588	₹ 97,693.76	12.5 %	₹ 12,211.72
5	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	723/02.03.2023	Boulder	156.00	1588	₹ 2,47,728.00	12.5 %	₹ 30,966.00
6	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	727/06.03.2023	Boulder	156.00	1588	₹ 2,47,728.00	12.5 %	₹ 30,966.00
7	Ridhi Sidhi	Nil/20.06.2023	710/23.02.2023	Boulder	11.00	1623	₹ 17,853.00	12.5 %	₹ 2,231.63
						Total (R/Off)	₹ 11,17,916.00	12.5 %	₹ 1,39,740.00

J.A.

मुलख राज
GRS Matour
Dev Block Kangra

Technical Assistant
Gram Panchayat Matour.
Dev. Block Kangra

अनुराधा चौधरी
सचिव
ग्राम पंचायत मटौर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)

परिशिष्ट " झ ", पैरा संख्या " 8.5 " के संदर्भ में

ग्राम पंचायत मटौर द्वारा अपूर्तिकर्ताओं से सेवाओं एवं सामग्री क्रय हेतु भुगतान पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. (G.S.T T.D.S.) की कटौती न करने के कारण राशी ₹1.12 लाख का अधिक/अनियमित भुगतान बारे

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	चयनित माह	फर्म/व्यक्ति का नाम	क्रय सेवाओं एवं सामग्री का विवरण	कुल राशि	जी.एस.टी. टी.डी.एस. कटौती दर	जी.एस.टी.टी. डी.एस. की कटौती योग्य राशि
1	2022-23	05/2022	Ajay Kumar, Vill Dhugiari, P.O. Gaggal, Kangra GST No. **02ANSPK0056B2ZH**	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Material Carriage, Shuttering and Sign Board with writing	₹ 31,95,661.69	2%	₹ 63,913.23
3	2023-24	06/2023	Ridhi Sidhi, Bagli Road, Matour, Kangra -176001 GST No. **02BHWPG7912D1ZF**	Sand, Aggregate, Boulder, Cement Carriage, Material Carriage, Shuttering and Sign Board with writing	1679160.28	2%	₹ 33,583.21
2	2023-24	06/2023	Choudhary Steel & hardware, Zamanabad Road, Ichchi, Kangra, GST No. **02ALNPM2411K1ZB**	Steel 16mm, Steel 12mm, Steel 10mm, Steel 8mm, GI Crate wire 4mm	₹ 7,20,378.88	2%	₹ 14,407.58
				Total (R/Off)	**₹ 55,95,201.00**	2%	**₹ 1,11,904.00**

NOTE:-

1. All bills pertaining to Ajay Kumar & Ridhi Sidhi were including GST & there was no bifurcation of GST amount in bills.

Technical Assistant
Gram Panchayat Matour
Dev. Block Kangra

मुलख राज
GRS
Gram Panchayat Matour
Dev. Block Kangra

अनुराधा चौधरी
सचिव
ग्राम पंचायत मटौर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि. प्र.)

J.A

(परिशिष्ट "अ " पैरा संख्या "1 " में संदर्भ में)

ग्राम पंचायत मटौर द्वारा मनरेगा के अंतर्गत व्यय की गई राशि ₹30.72 लाख से संबंधित अभिलेख (माप पुस्तिका, प्रशासनिक स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति, प्राक्कलन, उपयोगिता प्रमाण पत्र और अनुभागी / संकर्म व सतर्कता कमेटी द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध) अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने का विवरण

क्र०सं०	कार्य का नाम	स्वीकृत राशी	कुल व्यय राशी
1	निर्माण क्रेट वायर फ्लड कण्ट्रोल धोबी घाट से बागवान दास जमीन में	₹ 4,98,000.00	₹ 4,90,655.00
2	निर्माण क्रेट वायर फ्लड कण्ट्रोल मुन्नी खड भगवन दास जमीन में	₹ 5,00,000.00	₹ 4,91,261.00
3	निर्माण क्रेट वायर फ्लड कण्ट्रोल भगवान ,बिशम्वरदास ,विजय,जमीन से मुन्नी खड तक wn 5	₹ 4,95,000.00	₹ 4,89,096.00
4	निर्माण क्रेट वायर फ्लड कण्ट्रोल विजय कुमार जमीन से हक्क जमीन तक	₹ 4,97,550.00	₹ 4,92,600.00
5	निर्माण जीप रास्ता जोगिन्दर के घर से नंदेड़ wn 5	₹ 4,88,473.00	₹ 3,66,351.00
6	निर्माण जीप रास्ता परकाश चाँद हाउस से स्वरूप घर wn 7	₹ 4,90,731.00	₹ 3,80,019.00
7	निर्माण जीप रास्ता रमेश कुमार जमीन से रवि कुमार जमीन तक	₹ 4,84,000.00	₹ 3,62,251.00
	कुल जोड़	**₹ 34,53,754.00**	**₹ 30,72,233.00**

GRS
Mulkh Raj
GRS Matour

Technical Assistant
Gram Panchayat Matour.
Dev. Block Kangra

S.A.

अनुराधा चौधरी
सचिव
ग्राम पंचायत मटौर
विकास खण्ड कांगड़ा (हि.प्र.)